राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर – 302016

फोन नम्बरः 0141.4004914, **Website: www.rajasthanparamedicalcouncil.org**

क्रमांकः प.( )संस्था/मै.पा./रा.पै.मैडि.कौं./2023–24/ 1270 दिनांकः **16.08.2023**

''खुली–बोली आमन्त्रण सूचना'' (NIB) 1270 /2023-24

राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल, जयपुर को अपने कार्य निष्पादन हेतु **तीन ''कार्यालय सहायक''** मानव–संसाधन उपलब्ध करवाने वाली पंजीकृत/प्राधिकृत एवं अनुभवी संस्थाओं से वार्षिक दर–अनुबंध पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार द्वि–प्रकमी **(Two stage bidding)** ''खुली प्रतियोगी बोलियॉ'' आमन्त्रित की जाती हैं।

कार्मिक का पद नाम	कार्यालय सहायक (सेवा निवृत कार्मिक)
कार्मिकों की संख्या	तीन
अनुमानित लागत (अधिकतम रु. 26100/ प्रति कार्मिक–प्रति माह मानते हुए)	रुपये 9.40 लाख
बोली प्रतिभूति	रुपये 18,800/–
बोली –प्रपत्र शुल्क	रुपये 200/–
बोली –प्रपत्र बेचने की तिथि	17.08.2023 से 22.08.2023 तक (प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक)
बोली–प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	**23.08.2023** को अपराह्न 05.00 बजे तक
तकनीकी– बोली खोलने की दिनांक व समय	**24.08.2023** अपराह्न 03.00 बजे
वित्तीय–बोली खोलने की दिनांक व समय	तकनीकी बोली की मूल्यांकन रिर्पोट उपरांत समस्त सफल बोलीदाताओं को सूचित किया जायेगा।

बोली के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं बोली–प्रपत्र अन्य विवरण ***http//:sppp.raj.nic.in*** एवं ***www.rajasthanparamedicalcouncil.org*** पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है अथवा किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय पर निर्धारित तिथि तक शुल्क रूपये 200/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ***''रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल, जयपुर''*** के पक्ष में देय होगा, जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि बोली–प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड किया जाता है तो बोली प्रपत्र का भुगतान किसी भी शिड्यूल बैंक द्वारा जारी किया गया ''डिमाण्ड ड्राफ्ट'' तकनीकी–बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। संलग्न डीडी बोली–प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि तक के जारी किये गये हों, अन्यथा बोली फार्म रद्द कर दिया जावेगा।

सर्वप्रथम बोलीदाताओं से प्राप्त ''तकनीकी–बोलियों'' को उपरोक्त निर्धारित समय पर उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जाएगा। तकनीकी रुप से पात्र/सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय–बोली बाद में नियमानुसार खोली जाएगी जिसके लिए बोलीदाताओं को सूचित कर दिया जाएगा।

(कैलाश नारायण मीना)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः प.( )संस्था/मै.पा./रा.पै.मैडि.कौं./2023–24/ 1270 दिनांकः 16-8-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचि, अध्यक्ष, राज. पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. लेखा शाखा को सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड करने एवं अन्य कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी सर्वररूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही **RPMC** की वेबसाइट व ***http//:sppp.raj.nic.in*** पर अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड (कौंसिल कार्यालय)
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

"तकनीकी–बोली" दस्तावेज

संवेदकों/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से **"कार्यालय सहायक"** (सेवा निवृत कार्मिक) लेने हेतु।

1. बोली दाता का नाम :–
2. पता एवं मोबाईल नं. :–
3. जिसको संबोधित किया गया :– रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल, जयपुर।
4. सन्दर्भ बोली सूचना क्रमांकः दिनांक
5. बोली शुल्क राशि रू.– **200/–** डी.डी. संख्या .... दिनांक .... संलग्न है।
6. अमानत–राशि रूपये – **18,800/–**डी.डी. संख्या .... दिनांक .... संलग्न है।
7. निम्न सारणी में अंकित दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करेंः–

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				
7	मानव संसाधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक वर्ष में न्यूनतम 25 लाख का वार्षिक टर्न–ओवर होने का प्रमाण/साक्ष्य संलग्न करें।				
8	न्यूनतम तीन वर्ष का किसी भी राजकीय विभाग/उपक्रम में श्रमशक्ति (**Manpower**) उपलब्ध कराने के अनुभव स्वरुप कार्यादेश/ प्रमाण पत्र/साक्ष्य आदि संलग्न करें।				

8. बोली शुल्क/अमानत–राशि के डी.डी. "तकनीकी–बोली" के साथ संलग्न करें। वित्तीय–बोली खुलने तथा कार्यादेश (**Work order**) जारी होने के बाद सफल बोलीदाताओं के डी.डी काउन्सिल कार्यालय द्वारा रख लिये जावेंगे तथा असफल बोलीदाताओं के डी.डी. लौटा दिये जाऐंगे।
9. जिन बोलीदाताओं (**Bidder**) की बोली स्वीकार की जाएगी उन्हें स्वीकृत दर के अनुसार सेवा/कार्य की वार्षिक लागत के 5% "कार्य सम्पादन प्रतिभूति" (**Performance security**) राशि **डी.डी. अथवा ऑन–लाइन** जमा करानी होगी। जो बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ पूर्व में डी.डी. द्वारा जमा कराई गई अमानत–राशि को "कार्य सम्पादन प्रतिभूति" राशि में समायोजित कराना चाहें तो वे ऐसा करते हुए शेष "कार्य सम्पादन प्रतिभूति" राशि जमा करा सकेंगे। यह "कार्य सम्पादन प्रतिभूति" राशि दर–संविदा/कार्य के संतोषप्रद रुप से सम्पादित होने के बाद संवेदक को लौटा दी जायेगी।
10. बोलीदाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 अथवा राज्य सरकार के निर्देशानुसार, जो उन पर लागू होते हैं, (एस.एस.आई., सूक्ष्म, रुग्ण ईकाई/उद्योग आदि के सम्बन्ध में) बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति आदि में देय निर्धारित छूट मान्य होगी।
11. बोलीदाता द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार व किसी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है, का घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. हमें रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तो सहित राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 में संलग्न शर्तों से बाध्य होना स्वीकार है। इस हेतु हमने बोली के साथ संलग्न सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

13. दर–संविदा कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होंगी, जिसे विभाग द्वारा आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
14. यदि किसी कारण से संवेदक/बोलीदाता फर्म की सेवाऐं अथवा कार्य संतोषजनक नहीं रहता है अथवा संवेदक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो कौंसिल द्वारा पूर्व नोटिस देकर दर–अनुबंध कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।
15. सफल बोलीदाता/संवेदक के साथ दर–अनुबन्ध होने तथा कार्य/सेवा प्रारम्भ होने के बाद कौंसिल की आवश्यकता होने पर बोली आमन्त्रण सूचना **(NIB)** में अंकित कर्मचारियों/कार्मिकों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि (प्रभावी अनुमोदित दर पर) की जा सकती है, जिसे संवेदक को पूर्ण करना होगा।
16. बिन्दु संख्या 07 (1 व 6) के रजिस्ट्रेशन जो निविदादाता पर लागू नहीं होता हो तो इस बाबत निविदादाता को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण (साक्ष्य) सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
18. संवेदक द्वारा कार्मिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवदेक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
19. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने, सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
20. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित **"मासिक पारिश्रमिक"** राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो नियमानुसार/अनुबन्धानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
21. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस. आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी
22. संवेदक का मानव संसाधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक वर्ष में न्यूनतम 25 लाख का वार्षिक टर्न–ओवर होना अनिवार्य है। प्रमाण स्वरुप गत तीन वित्तीय वर्ष की आईटीआर की प्रति संलग्न करनी होगीं। (यदि वित्तीय वर्ष 2022–23 की आईटीआर प्रस्तुत नहीं की जा सकी हो तो चाटर्ड अकाउण्टेण्ट द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया जा सकता है।
23. संवेदक को कमसेकम तीन वर्ष का किसी भी राजकीय विभाग/उपक्रम में श्रमशक्ति **(Manpower)** उपलब्ध कराने का अनुभव होना अनिवार्य है। प्रमाण स्वरुप गत तीन वित्तीय वर्षों के कार्यादेश/अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
24. उपापन संस्था (कौंसिल) द्वारा संवेदक/सेवा प्रदाता को न्यूनतम 3.85% **सर्विस चार्ज दिया जायेगा। अतः वित्तीय बोली में सर्विस चार्ज 3.85% से कम अंकित/प्रस्तावित किये जाने पर बोली/निविदा निरस्त कर दी जावेगी।**
25. तकनीकि बोली में सफल होने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय–बोली खोली जावेगी।
26. सशर्त या अग्रिम भुगतान की शर्त अंकित करने पर निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
27. बोली आमन्त्रण सूचना में अंकित मात्रा में कमी/वृद्धी करने तथा किसी भी या समस्त बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार राज. पैरामेडिकल कौंसिल के पास सुरक्षित रहेगा।
28. उपापन से संबंधित सर्वाधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित रहेंगे।
29. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं नाम मय सील

"वित्तीय बिड" की सामान्य शर्तें

1. बोलीदाता को अपनी बोली/दरें संलग्न **वित्तीय–बोली प्रपत्र"** में अंकित करनी हैं।
2. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में सर्विस चार्ज **3.85% से कम** अंकित/प्रस्तावित किये जाने पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
3. कौंसिल द्वारा जीएसटी के साथ–साथ सेवा–चार्ज **(Service Charge)** भी अतिरिक्त रुप से देय है।
4. **"कार्यालय सहायक"** (सेवा निवृत कार्मिक) **के सम्बन्ध में निर्धारित विशेष शर्तें :–**

I. उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक **"कार्यालय सहायक"** की विशेष योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिये :–

a. कार्मिक केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार या केन्द्र/राजस्थान राज्य की किसी स्वायत्तशाषी संस्था/बोर्ड/निगम आदि से सेवा निवृत कर्मचारी हो।

b. कार्मिक की उम्र **65** वर्ष से अधिक नहीं हो।

c. कार्मिक ने मंत्रालयिक कर्मचारी के पद पर कमसेकम **20** वर्षों की बेदाग सेवा–अवधि पूरी की हो।

d. कार्मिक की शैक्षणिक योग्यता कमसेकम स्नातक हो।

e. चिकित्सकीय शैक्षणिक–संस्था से सेवानिवृत कार्मिक को सर्वोच्च वरीयता तथा अन्य शैक्षणिक–संस्था से सेवानिवृत कार्मिक को वरीयता दी जायेगी।

f. कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने का ज्ञान रखने वाले कार्मिक को भी वरीयता दी जायेगी।

g. कार्मिक को रखने से पूर्व उपापन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा।

II. न्यूनतम बोलीदाता को निर्धारित शर्तों के अनुसार लगाये जाने वाले कार्मिक से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज कौंसिल को उपलब्ध कराने होंगे तथा कौंसिल द्वारा दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने वाले कार्मिकों को ही उपलब्ध कराने हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि उपरोक्तानुसार न्यूनतम बोलीदाता कौंसिल को कार्मिक उपलब्ध कराने में असमर्थ/असफल रहा तो उससे उच्चतम बोलीदाता के मामले में और आगे भी उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

III. कार्मिक की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर कौंसिल द्वारा संवेदक को 15 दिन का नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए सेवाऐं समाप्त की जा सकती है।

IV. यदि उपलब्ध कराये गये कार्मिक की सेवाऐं संतोषजनक नहीं हुई तो कौंसिल के द्वारा सूचित करने पर एक सप्ताह में कार्मिक को बदलना होगा।

V. संवेदक द्वारा कार्मिकों को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खाते में ही किया जाएगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा कार्मिक के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण कौंसिल कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक खाते में जमा कराई गई राशि के विवरण से संतुष्टि होने पर ही संवेदक का आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

5. चूँकि लगाये जाने वाले कार्मिक केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार या केन्द्र/राजस्थान राज्य की किसी स्वायत्तशाषी संस्था/बोर्ड/निगम आदि से सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी होंगे फलस्वरुप इन पर ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. नियम लागू नहीं होंगे अतः ई.पी.एफ. एवं इ.एस.आई का कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
6. वर्तमान में कौंसिल कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार का कार्य दिवस एवं शनिवार तथा रविवार को अवकाश रहता है, इसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार अथवा कौंसिल को आवश्यकता होने पर परिवर्तन किया जा सकता है। कार्मिक को किसी भी राजकीय अवकाश के दिन कार्य हेतु बुलाया जा सकता है जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. **खुली–बोली आमन्त्रण सूचना** में वर्णित सभी शर्तो तथा तकनीकी एवं वित्तीय प्रपत्र (दस्तावेज) में अंकित समस्त शर्तें जो यहाँ लागू होंगी, की पालना के लिये हम सहमत हैं तथा उक्त बोली सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठ में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, का भी पालन करने के लिये हम सहमत है।
8. बोलियां/निविदाऐं, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
9. सफल बोलीदाता (जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी) को कौंसिल द्वारा सूचित करने पर **500/– रुपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर** पर अनुबंध–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. उपापन से संबंधित सर्वाधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित रहेंगे।
11. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं नाम मय सील

(बोलीदाता अपनी वित्तीय–दर इस प्रपत्र में भरें)

1. बोली दाता का नाम :– ....

2. पता एवं मोबाईल नं. :– ....

....

....

3. ईमेल आई डी :– ....

4. वित्तीय दर का विवरण :–

क्र.सं.	**विवरण**	**दर अंकों में**	**दर शब्दों में**
1	प्रति कार्मिक–प्रति माह **वित्तीय दर**		
2	सर्विस चार्ज प्रतिशत में		
3	प्रति कार्मिक–प्रति माह **सर्विस चार्ज की राशि**		
4	सर्विस चार्ज सहित प्रति कार्मिक–प्रति माह **कुल वित्तीय दर** (क्र. सं. 1 एवं 3 का योग)		

नोटः
1. **सर्विस चार्ज 3.85% से कम** अंकित किये जाने पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
2. अंकों एवं शब्दों में अंतर होने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
3. वित्तीय दरों में कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं नाम मय सील

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपरु – 302016
फोन नम्बरः 0141.4004914, **Website: www.rajasthanparamedicalcouncil.org**

क्रमांकः प.( )संस्था/मै.पा./रा.पै.मैडि.कौं./2023–24/ 1271 दिनांकः 16-8-23

निदेशक
संवाद सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
जयपुर

विषयः समाचार–पत्र में सूचना का प्रकाशन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कौंसिल द्वारा "**खुली–बोली आपन्त्रण सूचना**" का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाया जाना है।

अतः कृपया संलग्न "**खुली–बोली आपन्त्रण सूचना**" संख्या 1270 /**2023–24** का प्रकाशन एक "**क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र**" में करवाने श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

UBN – PMC2324SSOB00006

भवदीय,

(कैलाश नारायण मीना)
रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर
सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपरु – 302016
फोन नम्बरः **0141-4004914, Website: www.rajasthanparamedicalcouncil.org**

क्रमांकः प.( )संस्था / मै.पा. / रा.पै.मैडि.कौं. / 2023–24 / 1272 दिनांकः 16-8-23

''खुली–बोली आमन्त्रण सूचना'' (NIB)1270/2023-24

राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल, जयपुर द्वारा कार्यालय के कार्य निष्पादन हेतु **तीन ''कार्यालय सहायक''** मानव संसाधन उपलब्ध करवाने वाली पंजीकृत / प्राधिकृत एवं अनुभवी संस्थाओं से वार्षिक दर–अनुबंध पर लिये जाने हेतु **खुली–बोलियाँ** आमन्त्रित की जाती है।

विस्तृत जानकारी एवं शर्तें आदि ***http//:sppp.raj.nic.in*** एवं ***www.rajasthanparamedicalcouncil.org*** पर देखी जा सकती हैं।

UBN– PMC2324SSOB00006

(कैलाश नारायण मीना)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः प.( )संस्था / मै.पा. / रा.पै.मैडि.कौं. / 2023–24 / 1272 दिनांकः 16-8-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. लेखा शाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. प्रभारी सर्वररूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही त्व्ड॰ की वेबसाइट व ***http//:sppp.raj.nic.in*** पर अपलोड करें।
3. नोटिस बोर्ड (कौंसिल मुख्यालय)
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार